न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः–24/अ–59/2017–18/ 240 बैतूल दिनांक 5/01/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 36 रा. नि. मं. शाहपुर तहसील शाहपुर जिला बैतूल द्वारा तहसीलदार शाहपुर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम पलासपानी मे स्थित खसरा नंबर 141 रकबा 0.809 हेक्टेयर, वर्तमान पटवारी अभिलेख में चरनोई (घॅास) मद में दर्ज है। उक्त भूमि में से लगभग 0.200 हेक्टेयर रकबे में 10 कृषक 20–25 वर्षो से मकान बनाकर रह रहे है, तथा आवासीय पट्टा चाहते है।

2– हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार शाहपुर द्वारा मद परिवर्तन के लिए विधिवत् प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:–

(1)– मौजा पलासपानी स्थित खसरा नंबर 141 रकबा 0.809 हेक्टेयर, में से 0.200 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– वर्तमान राजस्व अभिलेख (खसरा) के अनुसार मौजा पलासपानी तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 141 रकबा 0.8009 हेक्टेयर भूमि घॅास मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1968–69 के अनुसार उक्त खसरा नंबर घॅास मद में दर्ज है।

(3)– दिनांक 17–8–2017 को आयोजित ग्राम सभा में, ग्राम पलासपानी स्थित खसरा नंबर 141 रबा 0.809 हेक्टेयर में से 0.200 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

(4)– मौजा पालसपानी का मकबूजा रकबा 462.986 हेक्टेयर है, एवं ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 79.410 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से न्यूनतम 9.259 हेक्टेयर चरनोई का रकबा ग्राम में उपलब्ध रहना अनिवार्य है। वर्तमान में ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा न्यूनतम रक्षित रकबे से अधिक है, तथा इसमें से 0.200 हेक्टेयर आबादी घोषित करने के बाद भी न्यूनतम रक्षित रकबे से कम नहीं होगा।

(5)– तहसीलदार शाहपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा मौजा पलासपानी तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 141 रकबा 0.809 हेक्टेयर में से 0.200 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (3) के अनुसार चारागाह, घॅास, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया

न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल (म.प्र.)

4— अतएव प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति तहसीलदार शाहपुर /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के प्रतिवेदन व अनुंशसा के आधार पर मौजा पलासपानी प.ह.नं. 36 रा. नि. मं. शाहपुर तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 141 रकबा 0.809 हेक्टेयर मद घॉस में से 0.200 हेक्टेयर को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

पृ0क्र0:—24/अ—59/2017—18/ 240 बैतूल दिनांक 05/01/2018

प्रतिलिपिः—

1— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर।

2— तहसीलदार शाहपुर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5— सचिव ग्राम पंचायत मोखामाल जनपद पंचायत शाहपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.